पत्र संख्या : 7वि०शा० / स्था०व्य० ज०सं०–15–06 / 2022 ज०स०.....137

झारखण्ड सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

प्रशांत कुमार
सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग,हजारीबाग / रॉची / मेदिनीनगर
संबंधित अधीक्षण अभियंता / संबंधित कार्यपालक अभियंता / संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग झारखंड रॉची।

रॉची, दिनांक 14.10.22

विषय :– वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान 49S27010300106 अन्तर्गत 05 अद्द कार्यालयों को विभिन्न मदों में कुल रू **142.55 लाख** (**रूपए एक करोड़ बयालीस लाख पचपन हजार मात्र**) राशि आवंटित करने के संबंध में।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2022–23 में बजट मुख्य शीर्ष **2701– मध्यम सिंचाई** के अंतर्गत परिशिष्ट–I में दर्शाये गये लघु शीर्ष / उप शीर्ष / विस्तृत शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :–

क्रमांक	मांग संख्या / मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष / उप शीर्ष	आवंटित राशि (लाख ` में)
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	मांग संख्या 49 जल संसाधन विभाग / 2701–मध्यम सिंचाई	03– मध्यम सिंचाई वाणिज्यिक	001–निदेशन तथा प्रशासन / 06–छोटानागपुर एवं संथाल परगना सिंचाई परियोजना	**142.550**

कुल आवंटित राशि – रू एक करोड़ बयालीस लाख पचपन हजार मात्र।

---

2. आवंटित राशि वित्तीय वर्ष 2022–23 के प्रथम अनुपूरक आगणन में आगणित राशि के उपरान्त संशोधित बजट उपबंध 7604.40 लाख (**छिहत्तर करोड़ चार लाख चालीस हजार मात्र**) के अंतर्गत है।
3. आवंटित राशि की निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि॰ (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि॰) दि॰ 15.07.2003 एवं 1681(वि०) दि०16.06.15 के आलोक में होगा।
4. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र / चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र / चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र / चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र / चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
5. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उक्त मुख्य शीर्ष / उप मुख्य शीर्ष / लघु शीर्ष / उप शीर्ष का विस्तृत उल्लेख के साथ मुहर तैयार कर व्यवहार करेंगें ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी तरह की भूल न हो सके।
6. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगें कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जबाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
7. सेवानिवृत कर्मियों को अनुमान्य एकमुश्त स्थानान्तरण अनुदान और पैकिंग भत्ता, वित विभाग के पत्रांक–170 दिनांक–01.04.2014 से प्राप्त निदेश के अनुरूप की जायगी।
8. कोषागार से आवंटित राशि की निकासी वित्त विभाग झारखण्ड सरकार के द्वारा समय– समय पर निर्गत आदेश के आलोक में किया जायेगा।

(श्वेता कुमारी)
सहायक अभियंता

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव(अभि०)

9. 15.11.2000 के पूर्व का बकाया वेतन, 15.11.2000 के बाद का बकाया वेतन एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान वित्त विभाग के पत्रांक–29/बी०टी०ई०–15/2013.–14/170/बजट दिनांक–01.04.2014 एवं पत्रांक–26/बी०एस०जी०–01/2014/488/बजट दिनांक–18.12.2014 के आलोक में किया जायेगा।
10. मकान किराया भत्ता मद में आवंटित राशि का भुगतान नियमानुसार सक्षम स्तर से किराया निर्धारण तथा अन्य संबंधित आवश्यक अभिलेखों की उपलब्धता के उपरांत ही अनुमान्य राशि तक सीमित कर किया जाएगा ।
11. यदि आवंटित राशि अपर्याप्त महसूस हो तो राशि के व्यय का पूर्ण औचित्य तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ राशि की मांग करेंगें। ध्यान रहे कि जिस कार्यालय से व्यय का पूर्ण औचित्य प्राप्त नहीं होगा अतिरिक्त राशि का आवंटन नहीं दिया जायेगा। अतिरिक्त आवंटन की अधियाचना के विरूद्ध आवंटन तभी निर्गत किया जायेगा जब पूर्व निर्गत आवंटन के विरूद्ध शत–प्रतिशत व्यय सुनिष्चित कर लिया जायेगा।
12. यदि किसी इकाई में आवंटित राशि (वेतन छोड कर) का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरेक राशि का तुरंत प्रत्यपर्ण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यर्पण **Online** किया जाय साथ ही पूर्ण प्रत्यर्पण प्रतिवेदन इकाईवार हार्ड कापी में **Acces No** एवं **Revoke No** का भी आवश्यक रुप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।
13. झारखण्ड वित्त नियमावली (भाग–1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्त नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
14. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉंची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
15. **देशीय यात्रा व्यय मद में उपलब्ध कराये गये आवंटन से लंबित स्थानान्तरण यात्राभत्ता का भुगतान प्रथमतः सेवानिवृत कर्मियों को सेवानिवृति की तिथि को आधार मानते हुए कालानुकमिकानुसार किया जाय। तत्पश्चात् अन्य स्थानान्तरण यात्राभत्ता का भुगतान कालानुकमिकानुसार (chronological order) किया जाय।**
16. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका **इकाईवार प्रत्यर्पण 31 मार्च 2023 से पूर्व** तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : **यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (http://www.wrdjharkhand.nic.in) पर भी उपलब्ध है।**

अनु० :– यथोक्त

13/10/22

(प्रशांत कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :– 137 रॉंची, दिनांक :– 14.10.22

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, झारखण्ड पो० – **हिनू, रॉंची/कोषागार पदाधिकारी,** रॉंची/डोरंडा/मेदिनीनगर/ हजारीबाग/ गढ़वा सहित **राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु० :– यथोक्त

13/10/22

(प्रशांत कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :– 137 रॉंची, दिनांक :– 14.10.22

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/ अभियंता प्रमुख I एवं II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो०), रॉंची/संयुक्त सचिव (अभि०)/उप सचिव (अभि०), जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग, अंचल–2,रॉंची को Online Sanction निर्गत करने हेतु/प्रशाखा–7 को पांच अतिरिक्त प्रतियों में/सचिव के आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग/सांख्यिकी पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु० :– यथोक्त

(श्वेता कुमारी)
सहायक अभियंता

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव(अभि०)

13/10/22
(प्रशांत कुमार)
सचिव

परिशिष्ट I

मांग संख्या–49–जल संसाधन विभाग

पत्रांक 137 दिनांक 14·10·22 का अनुलग्नक

मुख्य शीर्ष–2701–मध्यम सिंचाई/उप मुख्य शीर्ष–03–मध्यम सिंचाई–वाणिज्यिक

लघु शीर्ष–001–निदेशन तथा प्रशासन/उप शीर्ष–06–छोटानागपुर एवं संथाल परगना सिंचाई परियोजना

क0 सं0	वित्तीय वर्ष 2022–2023		विस्तृत शीर्ष–01–वेतन एवं भत्ते			विस्तृत शीर्ष–02–यात्रा व्यय	विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय							विस्तृत शीर्ष–04–मोटरगाड़ियां	विस्तृत शीर्ष–07–अन्य व्यय	राशि लाख रूपये में	
	कार्यालय का नाम		वेतन	15.11.2000 के पूर्व का बकाया	एल0टी0सी0	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	किराया,दरें, कर	आपूर्ति एवं सामग्री	व्यवसायिक सेवा	दूरभाष	वर्दी	विद्युत व्यय	मोटरगाड़ियां इंधन एवं मरम्मति	विधि प्रभार	कुल योग	अभियुक्ति
		विपत्र कोड	49S270103001 06000101	49S270103001 06000110	49S270103001 06000112	49S270103001 06000213	49S270103001 06000315	49S270103001 06000316	49S270103001 06000323	49S270103001 06000329	49S270103001 06000333	49S270103001 06000334	49S270103001 06000337	49S270103001 06000442	49S270103001 06000760		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	जलपथ अंचल, गढ़वा	पूर्व का आवंटन	60.000	0.000	0.000	0.000	0.300	0.000	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.400	0.000	60.800	
		अतिरिक्त आवंटन	**28.000**	**0.000**	**0.200**	**0.600**	**0.300**	**0.000**	**0.250**	**0.000**	**0.100**	**0.000**	**0.000**	**0.500**	**0.000**	**29.950**	
		अद्यतन आवंटन	88.000	0.000	0.200	0.600	0.600	0.000	0.250	0.000	0.200	0.000	0.000	0.900	0.000	**90.750**	
2	गुण नियंत्रण प्रमंडल, हजारीबाग	पूर्व का आवंटन	86.000	0.000	0.000	0.500	0.550	0.000	0.200	0.000	0.150	0.000	0.000	0.700	0.000	**88.100**	
		अतिरिक्त आवंटन	**10.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.300**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.300**	**0.000**	**10.600**	
		अद्यतन आवंटन	96.000	0.000	0.000	0.500	0.850	0.000	0.200	0.000	0.150	0.000	0.000	1.000	0.000	**98.700**	
3	रूपांकण एवं मोनि0 प्र0, हजारीबाग	पूर्व का आवंटन	25.000	0.000	0.000	0.000	0.250	0.000	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	**25.300**	
		अतिरिक्त आवंटन	**10.000**	**0.000**	**0.000**	**1.000**	**0.300**	**0.000**	**0.200**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**11.500**	
		अद्यतन आवंटन	35.000	0.000	0.000	1.000	0.550	0.000	0.200	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	**36.800**	
4	रूपांकण प्रमंडल सं.–1, मेदिनीनगर	पूर्व का आवंटन	226.000	0.000	0.000	0.000	0.250	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.300	0.000	**226.550**	
		अतिरिक्त आवंटन	**64.000**	**0.000**	**0.000**	**0.600**	**0.300**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.400**	**0.200**	**65.500**	
		अद्यतन आवंटन	290.000	0.000	0.000	0.600	0.550	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.700	0.200	**292.050**	
5	सिंचाई प्रमंडल, बुंडू	पूर्व का आवंटन	316.000	0.000	0.000	0.000	0.250	0.000	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	**316.300**	
		अतिरिक्त आवंटन	**23.000**	**0.000**	**0.000**	**0.750**	**0.300**	**0.000**	**0.200**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.750**	**25.000**	
		कुल आवंटन	339.000	0.000	0.000	0.750	0.550	0.000	0.200	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.750	**341.300**	
	अतिरिक्त आवंटन का योग		**135.000**	**0.000**	**0.200**	**2.950**	**1.500**	**0.000**	**0.650**	**0.000**	**0.100**	**0.000**	**0.000**	**1.200**	**0.950**	**142.550**	

कुल अतिरिक्त आवंटित राशि– रूपए एक करोड़ बयालीस लाख पचपन हजार मात्र।

(श्वेता कुमारी)
सहायक अभियंता

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव(अभि०)

13/10/22
(प्रशांत कुमार)
सचिव